

संख्या-238 /2025/784 मु0मं0न0सू0यो0/9-2-2025-ई-1896036

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2025

विषय:-मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर पालिका परिषदों एवं नवसृजित नगर पंचायतों को धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/406/28(2)-मु0मं0न0सू0यो0/डी0पी0आर0/24-25, दिनांक 27.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं नवसृजित नगर पंचायतों का डी0पी0आर0 उपलब्ध कराते हुए धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर पालिका परिषदों एवं नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा मूलभूत आवश्यक सुविधाओं के विकास/सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से सीमा विस्तारित/ उच्चीकृत/नवसृजित 03 निकायों की संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों हेतु कॉलम-3 में अंकित कुल धनराशि रू0 914.05 लाख (रू0 नौ करोड़ चौदह लाख पाँच हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कॉलम-04 में अंकित कुल धनराशि रू0 330.84 लाख (रू0 तीन करोड़ तीस लाख चौरासी हजार मात्र) प्रथम किशत में अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध-

- 1.स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/125/2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की गाईडलाईन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

4. कार्यो हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।
6. कार्यो की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
8. प्रश्रगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
9. कार्यो की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
10. प्रश्रगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
11. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
13. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
14. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
15. कार्य की द्विवरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो। इसे अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
16. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्रगत कार्यो हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित नगर आयुक्त तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
17. कार्यो के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कायदेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा, तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. सेन्टेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19. निकाय द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत नियमानुसार निर्गत की जा रही धनराशि में निर्णयोपरान्त एक प्रतिशत ए०एण्ड०ओ०ई० मद की धनराशि दी गयी है। निकाय द्वारा प्रत्येक कार्य की लागत में यदि 03 प्रतिशत आई०ई०सी० एवं ए०एण्ड०ओ०ई० मद की धनराशि शामिल की गयी है, तो निकाय को मात्र एक प्रतिशत ए०एण्ड०ओ०ई० मद में व्यय करने की अनुमति है। शेष धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।
20. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकाय को उपलब्ध करायी जाये।

21. निर्गत की जा रही धनराशि से निकाय द्वारा तीन माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश संख्या-1489/नौ-9-2022-84ज/2022, दिनांक 08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

22. यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में विस्तारित क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाये। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी की होगी।

23. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित नगर आयुक्त द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।

24. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 89,70,000.00 (रुपये नवासी लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801920300** उच्चिकृत/सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास **मानक मद 35** पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2) रुपये 2,41,14,000.00 (रुपये दो करोड़ इकतालीस लाख चौदह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801930300** नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास **मानक मद 35** पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-9-704-X-2024-25-दिनांक: 28-03-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Signed by भवदीय,

Sanjay Kumar Tiwari

Date: 28-03-2025 15:50:40

(संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

संख्या-238⁰⁰/2025/784 मु0मं0न0सू0यो0/9-2-2025, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
- (4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- (7) सम्बन्धित जिलाधिकारी।

- (8) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- (9) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- (10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- (11) अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निदेशक।
- (12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-238/2025/784 मु0मं0न0सु0यो0/9-2-2025-ई0-1896036, दिनांक-28-3-25 का अनुलग्नक

1- सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषद अमरोहा, जनपद-अमरोहा-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (जी 0एस0टी0 सहित)	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	मौहल्ला शास्त्री नगर मे ओजस हॉस्पिटल से मेन रोड तक तथा हॉस्पिटल के पास वाली गली मे सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	35.73	15.72
2	मौहल्ला सिरसागढ़ मे अशोक की दुकान से सुरेश के मकान होते हुये माली खेड़ा रोड तिराहे तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	28.19	12.40
3	मौहल्ला अहमद नगर मे काशीराम रोड पर भूरा डेरी वालों से विनोद के मकान होते हुये रोशन अली के प्लॉट तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	23.32	10.26
4	मौहल्ला जलालपुर नारायण मे गली नं0-1 तेजराम सैनी के मकान से तालाब तक सी0सी0 सड़क तथा गली नं0-2 विकास चौहान के मकान से अतर सिंह चौहान के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	19.98	8.69
5	मौहल्ला लक्ष्मण वाली मंढैया मे प्रमोद, सुनील के मकान से अतरासी रोड तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	14.45	6.36
6	मौहल्ला पुष्कर नगर मे प्रमोद त्यागी व चन्द्रपाल के मकान से होते हुये राजकुमार के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	9.36	4.12
7	मौहल्ला गुलड़िया मे दिनेश जाटव के मकान से भानू जाटव के मकान तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	8.31	3.66
8	मौहल्ला बम्बूगढ़ मे पूर्व मंत्री मंगल सिंह सैनी, राजेन्द्र सिंह सैनी के मकान से मंदिर तक तथा चन्द्र सैनी वाली गली व नरेन्द्र कुमार के मकान से चौक तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	7.50	3.30
9	मौहल्ला किशनगढ़ मे मनीष दक्ष वाली गली व बालक राम वाली गली मे सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण का कार्य।	3.75	1.65
10	मौहल्ला जलालपुर नारायण स्थित शहीद चौक पार्क मे बाउण्ड्री वॉल निर्माण तथा पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य	13.04	5.74
11	मौहल्ला मसूदपुर नवादा स्थित अम्बेडकर पार्क मे छतर व बाउण्ड्री वॉल निर्माण का कार्य तथा पार्क सौन्दर्यीकरण का कार्य।	22.61	9.95
12	नगर पालिका परिषद, अमरोहा मे अतरासी रोड पर स्थित फ्लाई ओवर से अतरासी की ओर 07 मीटर 30 नग पोल सहित 90 वाट की एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य।	15.85	6.97
	1 % (A&OE)	2.02	0.88
	योग	204.11	89.70

2- नवसृजित नगर पंचायत सैदनगली, जनपद-अमरोहा-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (जी 0एस0टी0 सहित)	निर्गत की जा रही धनराशि
---------	--------------	--	-------------------------

1	2	3	4
1	नगर पंचायत सैदनगली में वार्ड संख्या 04 में अम्बेडकर की मूर्ति से मुकेश व महेश के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य	3.53	1.29
2	नगर पंचायत सैदनगली में वार्ड संख्या 01 में नफीस के मकान से नूर हसन के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य	18.40	6.72
3	नगर पंचायत सैदनगली में वार्ड संख्या 03 में उदल सैनी के मकान से चन्द्रसैन के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य	11.95	4.36
4	नगर पंचायत सैदनगली में मथना रोड पर सोमपाल की दुकान से देशी ठेके तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य	14.03	5.12
5	नगर पंचायत सैदनगली में वार्ड संख्या 05 में चॉन्दपुर में दिनेश के मकान से तालाब तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य	9.93	3.62
6	नगर पंचायत सैदनगली में पाकबडा रोड थाने के सामने से रोहताश के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य	6.86	2.50
7	नगर पंचायत सैदनगली में वार्ड संख्या 05 में सब्दलपुर की छोटी मढैया में महक सिंह के मकान से सुन्दर के मकान तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य	1.07	0.39
8	नगर पंचायत सैदनगली वार्ड संख्या 02, सब्दलपुर शर्की में सतीमाता के मन्दिर में सी0सी0 रोड एवं दीवारों टाईल्स का कार्य	35.98	13.13
9	नगर पंचायत सैदनगली में वार्ड संख्या 01 मेहन्दीपुर में चामुण्डा मन्दिर में सी0सी0 रोड एवं दीवारों टाईल्स का कार्य	10.04	3.66
10	नगर पंचायत सैदनगली में वार्ड संख्या 04 में मेन बाजार तालाब में नाला निर्माण का कार्य	38.97	14.22
11	नगर पंचायत सैदनगली में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्कूलों में 308 अदद, बेंच की आपूर्ति का कार्य	26.16	9.55
12	नगर पंचायत सैदनगली में वार्ड संख्या 01 में मेहन्दीपुर में शिव मन्दिर के सामने सामुदायिक केन्द्र की दीवार, टिन शेट आदि का कार्य	31.56	11.52
13	नगर पंचायत सैदनगली में वार्ड संख्या 06 में शानि देव मन्दिर में सौन्दर्यीकरण का कार्य	6.49	2.37
14	नगर पंचायत सैदनगली के इकोदा में तिराहे पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति मय घोड़े सहित अधिष्ठापन का कार्य	9.14	3.34
15	नगर पंचायत सैदनगली में वार्ड संख्या 02 सब्दलपुर शर्की में अम्बेडकर पार्क का कार्य।	24.19	8.83
16	नगर पंचायत सैदनगली में सम्भल हसनपुर रोड पर गेट अधिष्ठापन का कार्य।	30.09	10.98
17	नगर पंचायत सैदनगली में घण्टा घर के निकट 100 फिट उंचा झण्डा (तिरंगा) का अधिष्ठापन का कार्य	11.80	4.31
18	नगर पंचायत सैदनगली में वार्ड संख्या 12 में सकतपुर तिराहे पर ए0पी0जी0 अब्दुल कलाम मूर्ति अधिष्ठापन का कार्य	14.16	5.17
19	नगर पंचायत सैदनगली में वार्ड संख्या 11 में वार्तिकल गार्डन, एवं सैल्फी पाईट का कार्य	10.62	3.88
	1 % (A&OE)	3.14	1.14
	योग	318.11	116.10

3- नवसृजित नगर पंचायत गणेशपुर, जनपद-बस्ती-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
---------	--------------	--	-------------------------